दिनांक 30.05.2008 को मुख्यालय पर सम्पन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

क्र0	विवरण	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
1.	उपस्थिति	संलग्नक के अनुसार-
2.	सम्बोधन	बैठक में उपस्थित सभी उप निदेशक (निर्माण / वि0यॉ0) को सूचना दी गई कि विभाग के राजस्व संचालन की वर्षो पुरानी पारम्परिक व्यवस्था में दिनांक 01.06.2008 से आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत धनराशि को चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मैनुवली आदान प्रदान करने के स्थान पर इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे बैंक कमीशन, मैन पावर, कर्मियों के टी0ए0, डी0ए0 और आदान प्रदान में लगने वाले समय की बचत होगी तथा नई व्यवस्था से पारदर्शिता रहेगी एवं राजस्व संचालन में सुगमता होगी। सभी उप निदेशक (निर्माण / वि0यॉ0) को निर्देश दिये गये कि वे अन्य सभी बैंकों के खाते बन्द करते हुए विलम्बतम दिनांक 01.6.2008 तक अन्य बैंकों मे नियोजित धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करा दें। स्पष्ट किया गया कि दिनांक 01.06.2008 के बाद भी यदि अन्य किसी बैंक में विभागीय धनराशि जमा की जानी पाई जाती है तो उसे गबन की श्रेणी में मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।
3.	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना वर्ष 2007-08	निर्देश दिये गये कि कार्य की गति में तीव्रता लाते हुए योजनान्तर्गत गत वर्ष के सम्पर्क मार्गो के अवशेष कार्य बरसात आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण करा लिए जायं।
4.	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना वर्ष 2008-09	निर्देश दिये गये जिन सम्पर्क मार्गो के आगणन मुख्यालय पर प्राप्त हो गये हैं, उनकी स्वीकृतियॉ तीन दिन के अन्दर प्राप्त कर ली जायं। उप निदेशक (निर्माण) फर्रूखाबाद द्वारा कुछ मार्गो के प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित न किये जाने का तथ्य संज्ञान में लाया गया। इस कम में सभी उप निदेशक (निर्माण) को निर्देश दिये गये कि वे स्वंय जिलाधिकारी से सम्पर्क कर प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक सूचनाओं सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि उनकी स्वीकृतियॉ प्राथमिकता पर निर्गत कराई जा सकें।
5.	सामान्य सम्पर्क मार्ग	समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ है कि निर्धारित लक्ष्य / स्वीकृत बजट रू0 170 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 10 करोड़ की स्वीकृतियॉ ही जारी की जा सकी है। यह प्रगति अच्छी नहीं है। निर्देश दिये गये कि शेष स्वीकृतियॉ शीघ्रता से निर्गत करायी जायें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कतिपय खण्डों में वर्ष 2004, 2005 व 2006 के सम्पर्क मार्ग भी अभी तक पूर्ण नहीं कराए जा सके हैं। यह स्थिति खेदजनक है। समस्त उप निदेशक (नि0) को निर्देश दिये गये कि पुराने कार्यो को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। स्पष्ट किया गया कि आगामी समीक्षा बैठक में इस बिन्दु पर सघन समीक्षा की जायेगी और जिन खण्डों में बिना युक्तिसंगत कारणों के पुराने कार्य लम्बित पाए जायेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
6.	मण्डी स्थलों का निर्माण कार्य	वर्तमान तक अधिसूचित कुल मण्डी स्थलों में से 36 नवीन मण्डी स्थलों के यार्ड का निर्माण नहीं हुआ है। अतः समस्त उप निदेशक (निर्माण) अपने क्षेत्र की ऐसी मण्डियों, जिनके लिये भूमि अधिग्रहण या अन्य कारणों से यार्ड का निर्माण नहीं हुआ है उनके निर्माण हेतु वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर करें।
7.	खण्डों में अवर अभियन्ताओं की कमी पर विचार।	लगभग सभी उप निदेशक (निर्माण) द्वारा खण्ड में अवर अभियन्ताओं की कमी होने का तथ्य संज्ञान में लाया गया। यह भी बताया गया कि कुछ गैर नियमित अवर अभियन्ताओं को पूर्व में माप पुस्तिका पर मापांकन का अधिकार दिया गया था जो कतिपय कारणों से बाद में वापस ले लिया गया। ऐसे प्रकरणों पर पृथक-पृथक रूप से परीक्षण कर नियमानुसार उनको मापांकन का अधिकार दिये जाने पर विचार किया जाय।

4037
02.06.08

कम्प्यूटर प्रोग्रा०

क्र0	विवरण	कार्यवाही / कार्यकारी आदेश
8.	यू0पी0 डास्प से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं पर विचार।	समस्त उप निदेशक (निर्माण) को यू0पी0 डास्प से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी गई और स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित कार्यो की परियोजनाओं के गठन के पश्चात ही आगे की कार्यवाही सम्भव है। अतः निर्देशित किया गया कि चिन्हित स्थानों पर फल सब्जी मण्डी स्थलों के निर्माण, मण्डी स्थलों के उच्चीकरण, मत्स्य मण्डी के निर्माण तथा कृषक सेवा केन्द्र आदि के निर्माण हेतु परियोजनाओं का गठन कर प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि वर्तमान में मण्डी स्थल में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नही है तब भी यह मानते हुए कि प्रश्नगत कार्यो हेतु भूमि की व्यवस्था पृथक से की जायेगी, उसकी परियोजना तैयार कर उपलब्ध कराई जाय।
9.	सामान्य निर्देश	• उप निदेशक (निर्माण) लखनऊ–1 द्वारा मण्डी समिति सण्डीला क्षेत्रान्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग "माल कोथांव रोड से हिरई खेड़ा" के कुछ भाग में विवाद होने एवं स्थानीय मा0 विधायक द्वारा भी संस्तुति किये जाने के कारण एलाइन्मेंट परिवर्तन की स्वीकृति की मांग की गई जिसके लिये व्यवस्था दी गई कि वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। • कतिपय उप निदेशक (निर्माण) द्वारा खण्ड में वाहन न होने का तथ्य उठाया गया। इस कम में यह व्यवस्था दी गई कि खण्ड में उपलब्ध कन्टीजेन्सी मद की धनराशि से टैक्सी किराये पर लेने हेतु वांछित स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली जाय। • उप निदेशक (निर्माण) मिर्जापुर द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत एक नग मार्ग पर वर्तमान तक जिले की योजना से मिट्टी का कार्य न कराये जाने का तथ्य उठाया गया उन्हें निर्देशित किया गया कि वे जिलाधिकारी से सम्पर्क कर मिट्टी का कार्य तत्काल करवायें।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या– मु0अभि0(समी0बै0)3882/08– 595 दिनांक 7–6– 2008

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद मुख्यालय।
2. मुख्य अभियंता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डी परिषद मुख्यालय।
4. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, उ0प्र0।
5. समस्त उपनिदेशक (निर्माण/वि0–यॉ0) मण्डी परिषद, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या तत्काल उपलब्ध करायें।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर मण्डी परिषद, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि इसे परिषद की वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)
07.06.08